



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
अपर निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE ADDITIONAL DIRECTOR

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
CENTRAL GOVERNMENT HEALTH SCHEME

1544/ए नेपियर टाउन जबलपुर(म.प्र.)482001
1544/A-NAPIER TOWN JABALPUR (M.P.)-482001

Tel. 0761-2405205/Fax-2411890 emailcghsjab-mp@nic.in



"YOUR HEALTH OUR GOAL"
आपका स्वास्थ्य हमारा लक्ष्य

क्रमांक: 6-8/2026/ ESTT/CGHS/JBP/ 2056-65

दिनांक: 07.09.2026

कार्यालय आदेश

विषय - कोठारी अस्पताल के निलंबन (Suspension) के संबंध में।

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) ने अपने पत्र क्रमांक NABH-CGHS-HOS/2026/C3004/2026/08101 दिनांक 21.08.2026 के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके द्वारा कोठारी अस्पताल, गेट नंबर 4, मदन महल स्टेशन रोड के पास, राइट टाउन, जबलपुर, को सीजीएचएस (CGHS) पैनल में रहने के लिए "क्यू.सी.आई अनुशंसित नहीं (QCI Not Recommended)" किया गया है।

अतः कोठारी अस्पताल का ईम्पैनेलमेन्ट (Empanelment) तत्काल प्रभाव से 31.12.2026 तक निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान अस्पताल को कोई नया केस लेने की अनुमति नहीं होगी। इस योजना के तहत पहले से भर्ती सभी मरीजों को डिस्चार्ज होने तक सामान्य रूप से निरंतर उपचार प्रदान किया जाएगा।

अस्पताल 31.12.2026 के भीतर QCI/NABH से सिफारिश प्राप्त करने के बाद सीजीएचएस पुनः पैनल (Re-empanelment) के लिए आवेदन कर सकता है, निर्धारित अवधि में सिफारिश प्राप्त न करने स्थिति में अस्पताल को पैनल से हटा (De-empanelled) दिया जाएगा।

अपर निदेशक

सीजीएचएस जबलपुर

अपर निदेशक

Additional Director
के.स.स्वा.यो.जबलपुर
राइट टाउन, जबलपुर
M.S. Jabalpur

प्रति,

कोठारी अस्पताल, गेट नंबर 4, मदन महल स्टेशन रोड के पास,

प्रतिलिपि प्रेषित (Copy to)-

1. प्रभारी, वेलनेस सेंटर (WC) संख्या 01, 02, 03, 04, 05 और 06।
2. लेखा अनुभाग, स्थानीय (Account Section Local)।
3. नोडल अधिकारी, MCTC - इस पत्र को सीजीएचएस वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
4. नोडल अधिकारी, NHA - आवश्यक कार्रवाई हेतु।